



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112020-223032
CG-DL-E-10112020-223032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3557]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2020/कार्तिक 19, 1942

No. 3557]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2020/KARTIKA 19, 1942

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2020

का.आ. 4040(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ सत्तावनवां संशोधन नियम, 2020 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, “सूचना और प्रसारण मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 22 के पश्चात, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“Vक. डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन विषय-वस्तु प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गए फ़िल्म और दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर समाचार और समसामयिक विषय-वस्तु।”।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/7/2020-मंत्रि.]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th November, 2020

S.O. 4040(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Fifty Seventh Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading “MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)” after entry 22, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:-

“VA. DIGITAL/ONLINE MEDIA”

- 22A. Films and Audio-Visual programmes made available by online content providers.
- 22B. News and current affairs content on online platforms.”.

RAM NATH KOVIND
President

—————
[F. No. 1/21/7/2020-Cab.]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy.